(96) 17

Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल, ग्वालियर, कैंप- भोपाल

निगरानी-6535/2018/हरदा/भू.रा.

राजस्व पुनरीक्षण याचिका क्रं :- पी.बी.आर./ /2017-18

ग्राम धौलपुर कलां तह0 रहटगांव, जिला हरदा

प्रस्तुत दिनांक :- 26/ 12 /18

याचिकाकर्ता :- जनार्दन आ0 भगवंतराव गद्रे, निवासी गाँधी चौक,टिमरनी

विरुद्ध

उत्तरवादी/अपीलार्थीगण :-

1 अनिकेत गद्रे आ0 श्री संतोष गद्रे, निवासी इंदौर

2 केदार गद्रे आ0 श्री शिरीष गद्रे, निवासी टिमरनी

3 शिरीश आ0 सखाराम गद्रे, निवासी वार्ड कं 5, टिमरनी, जिला हरदा

4 प्रेमनारायण किरार, आ0 श्री परसराम किरार, निवासी धौलपुरकलां, तह0 टिमरनी, जिला हरदा

श्री दिलीप मिश्रा अभि. द्वारा कोर्ट भोपाल में प्रस्तुत 26-12-18

पुनरीक्षण याचिका ओर से याचिकाकर्ता अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू रा0 संहिता

उपरोक्त याचिकाकर्ता न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रं 22/अपील/वर्ष 18-19 में पारित आलोच्य आदेश दि0 1/11/18 की अनियमितता एवं अवैधानिकता से क्षुब्ध होकर यह याचिका प्रस्तुत की जा रही है।

याचिका के तथ्य

1 यह कि, अपीलार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों सहभूमिस्वामियों नागेश, शशिकांत एवं सीमा के नाम पर ग्राम धौलपुरकलां की भूमि खसरा कं 243/1 रकबा 1.354 हे0 अर्थात लगभग 3.34 ए भूमि राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी अधिकार में दर्ज चली आ रही है। जिस पर यह याचिकाकर्ता सभी सहभूमिस्वामियेां की ओर से भूमि का कृषिकरण, व्यवस्थापन करता चला आ रहा है। अन्य सहभूमिस्वामियों द्वारा याचिकाकर्ता को उनकी ओर से कार्य करने हेतु मुख्त्यारनामा भी दिया हुआ है। याचिकाकर्ता द्वारा किये गये किन्हीं भी कार्यो से उसके सहभूमिस्वामियों को कभी कोई आपत्ति नहीं रही है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–6535/2018/हरदा/भू0रा0

जनार्दन विरूद्ध अनिकेत गद्रे आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–02–2019	आवेदक अभिभाषक श्री दिलीप मिश्रा उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 22/अपील/2018–19 में पारित अंतिम दिनांक 01–11–2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 26–12–2018 को प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को निगरानी प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर0के0 जैन) 27/2/2019 सदस्य	